भारत का उच्चतम न्यायालय

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील संख्या 5747/2021

(2018 की विशेष अवकाश याचिका (दीवानी) संख्या 27737 से उत्पन्न)

राजस्थान राज्य और अन्य अपीलकर्ता

बनाम

शिव चरण मीणा उत्तरदाता

<u>आदेश</u>

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील दीवानी विशेष अपील (रिट) संख्या 1342/2017में राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 16/11/2017 को चुनौती देती है।

3. संबंधित समय में राज्य सरकार के कृषि विभाग में चालक के पद पर कोई लालू राम मीणा कार्यरत थे, जिनकी सेवाएं दिनांक 08.01.2003 के कार्यालय आदेश द्वारा दिनांक 16.10.2002 से नियमित की गई हैं। हालाँकि, चूंकि लालू राम मीणा को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था, यहाँ प्रतिवादी की सेवाएं 2009 में कुछ समय के लिए

जयपुर एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (संक्षेप में "सोसाइटी") के माध्यम से अनुबंध के आधार पर ली गई थीं। अपीलकर्ता के अनुसार, सोसायटी द्वारा मासिक आधार पर एक समेकित बिल बनाया जाएगा और राशि सोसायटी के पक्ष में जारी की जायेगी।

4. लालू राम मीणा को संबंधित विभाग में प्रत्यावर्तित किए जाने के बाद प्रतिवादी की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इस प्रकार, प्रतिवादी को कार्यालय आदेश दिनांक 05.05.2015 द्वारा प्रश्नगत वाहन का प्रभार लालू राम मीणा को सौंपने का निर्देश दिया गया था।

5. इसके कारण प्रतिवादी द्वारा एकल पीठ दीवानी रिट संख्या 7637/2015दाखिल की गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निवेदन किया गया कि उसकी सेवाओं को किसी अन्य संविदा कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है और विभाग में चालक के रूप में उसकी सेवाओं को नियमित किया जाए। प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 09.05.2017 के निर्णय और आदेश द्वारा 25,000/- रुपये की लागत के साथ स्वीकार की गई थी।

6. इससे आहत होकर विभाग ने खंड पीठ दीवानी विशेष अपील (रिट) संख्या 1342/2017को प्रस्तुत किया, जिसे उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अपने दिनांक 16.11.2017 के फैसले और आदेश के द्वारा खारिज कर दिया।

7. असंतुष्ट होने के कारण, राज्य सरकार ने यह अपील पेश की है।

8. अभिलेख पर दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह मामला प्रतिवादी के स्थान पर किसी अन्य संविदा या तदर्थ कर्मचारी को नियुक्त किए जाने का नहीं था, बल्कि यह नियमित रूप से नियुक्त व्यक्ति को मूल विभाग में प्रत्यावर्तित किए जाने का मामला था।

9. इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी की ओर से दी गई प्रस्तुतियों को स्वीकार करने और प्रत्यर्थी द्वारा दी गई रिट याचिका को अनुमति देने में गलती की थी।

10. अतः हम इस अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हैं और एकल पीठ दीवानी रिट संख्या 7637/2015 को खारिज करते हैं।

11. मामले की विशेष स्थिति में, उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत खर्चे के अलावा, हम अपीलकर्ता को आज से चार सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी को 25,000/- रुपये की और राशि देने का निर्देश देते है।

12. इन टिप्पणियों के साथ, अपील की अनुमति दी जाती है।

(उदय उमेश ललित)

(एस. रवींद्र भट्ट)

(बेला एम. त्रिवेदी)

नई दिल्ली,

17 सितंबर, 2021

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'**के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।)

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।